भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1914

10 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों में दिव्यांगजनों को रोजगार दिया जाना

1914. श्री के.जे. एल्फोंस:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कितने दिव्यांगजनों को नियोजित किया गया है; और

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों में उनके लिए नौकरियों में कोई आरक्षण है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) और (ख): भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में दिव्यांगजन के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। इस्पात मंत्रालय के पीएसयू में 01.01.2016 से 31.12.2020 की पिछली पाँच वर्षों की अवधि के दौरान नियुक्त दिव्यांगजन की संख्या निम्नानुसार है:-

इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सीपीएसई का नाम	**पिछले पाँच वर्षों के दौरान नियुक्त दिव्यांगजन की संख्या**
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	90
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)	117
एनएमडीसी लिमिटेड	55
एमएसटीसी लिमिटेड	4
मॉयल लिमिटेड	1
मेकॉन लिमिटेड	0
केआईओसीएल लिमिटेड	0
फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)	0

****